फाइल. संख्या 11/3/2021-(बीपी और ई)(भाग I)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(शर्करा एवं वनस्पति तेल निदेशालय)

कृषि भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: 24 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एफसीआई, नई दिल्ली

विषय: इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए इथेनॉल में रूपांतरण हेतु खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) ओएमएसएस (डी) नीति 2025-26 के अंतर्गत चावल की बिक्री हेतु तौर-तरीके और मानक संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में।

महोदय,

मुझे खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) 2025-26 के अंतर्गत खुला बाजार में चावल की बिक्री हेतु आवंटन के संबंध में इस विभाग के पत्र संख्या 1-5/2025-.पीवाई.IV/पीटी. दिनांक 31.07.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. एफसीआई डिपो, जहाँ अधिशेष चावल उपलब्ध है, से इथेनॉल उत्पादन हेतु डिस्टलरियों को चावल की बिक्री को सुव्यवस्थित करने के लिए, निम्नलिखित तौर-तरीके अपनाए जा सकते हैं:

i. एफसीआई चावल पूरे भारत में (दिनांक 01.11.2025 से 30.06.2026 तक) 2320 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जारी किया जाएगा, जिसकी कुल मात्रा 52 लाख टन से अधिक नहीं होगी और इथेनॉल में रूपांतरण के लिए कोई अतिरिक्त परिवहन लागत नहीं आएगी। एफसीआई चावल की कुल आपूर्ति, जो 52 लाख मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी, कमी वाले और अधिशेष वाले राज्यों में इथेनॉल डिस्टिलरियों द्वारा प्रभावित हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए, पुराने चावल का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए।

ii. इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई चावल की बिक्री केवल उन डिस्टलरियों को ही करने की अनुमति होगी जो इथेनॉल के आपूर्तिकर्ता के रूप में ओएमसी के साथ पंजीकृत हैं।

iii. एफसीआई चावल से इथेनॉल की आपूर्ति के लिए ओएमसी के साथ हस्ताक्षरित वैध अनुबंध की एक प्रति के साथ डिस्टिलरी उस डिवीजन के एफसीआई के डिवीजनल मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, जहां उनका चुना हुआ एफसीआई डिपो स्थित है।

iv. संबंधित मंडल प्रबंधक उस एफसीआई डिपो से, तेल विपणन कंपनियों के साथ उनके अनुबंध में डिस्टिलरियों को आवंटित इथेनॉल की मात्रा के अनुसार चावल आवंटित करेंगे। आवश्यकतानुसार आपूर्ति एकमुश्त या किस्तों में हो सकती है।

v. चावल की आपूर्ति हो जाने पर, डिस्टिलरी, संबंधित ओएमसी द्वारा इथेनॉल की आपूर्ति के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति एफसीआई के संबंधित मंडल प्रबंधक को उपलब्ध कराएगी।

vi. डिस्टिलरियों को चावल की आपूर्ति केवल पूर्व भुगतान के आधार पर होनी चाहिए और उधार बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

vii. एफसीआई गोदामों से डिस्टिलरियों तक परिवहन की लागत डिस्टिलरियों द्वारा वहन की जाएगी।

viii. ओएमसी, संबंधित डिपो पर प्राप्त एफसीआई चावल से उत्पादित इथेनॉल की मात्रा का विवरण, ओएमसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में, हर महीने एफसीआई के संबंधित मंडल प्रबंधक को प्रस्तुत करेंगे।

3. इसके अतिरिक्त, इथेनॉल उत्पादन हेतु एफसीआई डिपो के माध्यम से एफसीआई चावल की बिक्री और इथेनॉल डिस्टिलरियों द्वारा इसके सुचारू उठाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुबंध पर है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

हरित शाक्य
24.X.25

(हरित कुमार शाक्य)
संयुक्त निदेशक (डीएसवीओ)
दूरभाष: 011-23097060

प्रति;

i) संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

ii) संयुक्त सचिव (बीआर/सामान्य), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

iii) कार्यकारी निदेशक, आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल

प्रति:

i) सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

ii) संयुक्त सचिव (चीनी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

iii) निदेशक (चीनी) के निजी सचिव

iv) GEMA/AIDA/ISMA

<u>इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई डिपो के माध्यम से एफसीआई चावल की बिक्री और इथेनॉल डिस्टिलरी द्वारा इसके सुचारू उठाव के लिए एसओपी</u>

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित कार्रवाई	समय सीमा	जिम्मेदार संस्था/अधिकारी
1.1	**अग्रिम भुगतान के साथ मांगपत्र प्रस्तुत करना**	ओएमसी के साथ वैध अनुबंध रखने वाली डिस्टिलरियों द्वारा पहले से ही मांगित मात्रा के अग्रिम भुगतान के साथ रखा जाना चाहिए।	ओएमसी से आवंटन के अनुसार	**डिस्टिलरियां**
1.2	**रिलीज ऑर्डर (आरओ) जारी करना**	एफसीआई द्वारा जारी किए जाने वाले आरओ	मांगपत्र रखे जाने तथा डिस्टिलरी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, भुगतान सत्यापन के बाद एफसीआई द्वारा 24 घंटे के भीतर रिलीज ऑर्डर (आरओ) जारी कर दिया जाएगा।	**क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई**
1.3	**एफसीआई चावल का उठाव**	परिवहन की व्यवस्था डिस्टिलरियों द्वारा की जाएगी	डिस्टिलरियों को रिलीज ऑर्डर जारी होने के दस कार्यदिवसों के भीतर मात्रा उठानी होगी। तदनुसार, डिस्टिलरियों को संबंधित डिपो प्रबंधक को ट्रकों के संदर्भ में अग्रिम रूप से दैनिक उठाव की एक अनुमानित जानकारी उपलब्ध करानी होगी।	**डिस्टिलरियां**

		एफसीआई द्वारा श्रम की व्यवस्था	डिपो प्रबंधक को आरओ जारी होने के बाद श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी ताकि डिस्टिलरों द्वारा समय पर उठान किया जा सके।	**डिपो प्रबंधक, एफसीआई**

<u>अतिरिक्त परिदृश्य:</u>

क्रम. सं	मुद्दा/परिदृश्य	प्रस्तावित कार्रवाई	जिम्मेदार अधिकारी
2.1	**संबंधित डिपो में स्टॉक की अनुपलब्धता**	एफसीआई जल्द से जल्द चावल की उपलब्धता की व्यवस्था करेगा। यदि नज़दीकी डिपो में स्टॉक उपलब्ध है, तो वैध आरओ वाली डिस्टिलरियों को नज़दीकी डिपो से स्टॉक उठाने की अनुमति दी जा सकती है।	**क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई**
2.2	**रेक के माध्यम से सीधे चावल की आपूर्ति**	i. यदि कोई डिस्टिलरी अपने नजदीकी रेक अनलोडिंग केंद्र पर पूरी रेक मात्रा की मांग करती है, तो ऐसी डिस्टिलरी को रेल रेक के माध्यम से एफसीआई चावल की आपूर्ति की सुविधा इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि रेलवे द्वारा निर्धारित समय के भीतर रेक जारी कर दिया जाएगा। ii. रेक की उपलब्धता की पुष्टि होने पर, डिपो प्रबंधक यथाशीघ्र डिस्टिलरी को सूचित करेगा। iii. रेक अनलोडिंग में किसी भी प्रकार	**क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई**

		की देरी होने पर, डिस्टिलर द्वारा विलंब शुल्क का भुगतान किया जाएगा।	
2.3	**राजपत्रित अवकाशों/गैर-कार्य दिवसों पर श्रमिकों की उपलब्धता की व्यवस्था**	यदि डिपो किसी डिस्टिलरी को उठाव के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो अनुरोध करने पर, डिस्टिलरी को राजपत्रित अवकाशों या गैर-कार्य दिवसों पर चावल उठाने की अनुमति दी जा सकती है, सिवाय डीपीएस/विभागीय श्रमिकों द्वारा संचालित गोदामों/डिपो के। डिपो प्रबंधक श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।	**डिपो प्रबंधक, एफसीआई**

3. यदि किसी भी एफसीआई डिपो पर एफसीआई के उठाव से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो संबंधित डिपो प्रबंधक को तुरंत महाप्रबंधक (क्षेत्र)/मंडल प्रबंधक के संज्ञान में लाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो मामले को कार्यकारी निदेशक (अंचल) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. इथेनाल उत्पादन के लिए एफसीआई से चावल खरीदने वाली डिस्टलरियाँ एफसीआई डिपो से चावल उठाव से संबन्धित शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। शिकायत निम्नलिखित में से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दर्ज की जा सकती है:

i. वेब पोर्टल: https://fci.gov.in/grievanceredressal/grievance/login

ii. एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन: "एफसीआई शिकायत निवारण" नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।